९/

संख्या- 272/2024/1729/नौ-9-2024-41ja-21/001-ई-1368791

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/
मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 06 दिसम्बर, 2024**

विषय: राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत अयोध्या शहर की मल्टीलेवल कार पार्किंग परियोजना हेतु जी0एस0टी0 वृद्धि व अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में शासनादेश संख्या-45/2021/1041/नौ-9-2021-41ज/21, दिनांक-14.08.2021 द्वारा अयोध्या शहर की मल्टीलेवल कार पार्किंग परियोजना हेतु लागत धनराशि रू0 3708.49 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत की धनराशि रू0 927.12 लाख (रू0 नौ करोड़ सत्ताईस लाख बारह हजार मात्र) कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-120/2021/2613/नौ-9-2021-41ज/21, दिनांक-28.12.2021 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 927.12 लाख (रू0 नौ करोड़ सत्ताईस लाख बारह हजार मात्र), शासनादेश संख्या-15/2021/343/नौ-9-2023-001-41ja-21/ई-1368791, दिनांक-24.02.2023 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि रू0 927.12 लाख (रू0 नौ करोड़ सत्ताईस लाख बारह हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या-01/2023/1188/नौ-9-2023-41ja-21/001-ई-1368791, दिनांक-04.07.2023 द्वारा चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 741.698 लाख (रूपये सात करोड़ इकतालिस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ मात्र) निर्गत की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-2087/106/SSCM/2020-21, दिनांक-11.09.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर जी0एस0टी0 वृद्धि की धनराशि व अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या शहर की मल्टीलेवल कार पार्किंग परियोजना हेतु पुनरीक्षित अवशेष धनराशि रू0 185.43 लाख एवं जी.एस.टी. वृद्धि (12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत) की धनराशि रू0 152.34 लाख सहित **कुल धनराशि रू0 337.77 लाख (रूपये तीन करोड़ सैंतीस लाख सतहत्तर हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले स्टेट नोडल खाते में हस्तान्तरित कर रखी जायेगी एवं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाईन्स, 2019 के दिशा निर्देशों/शासनादेश दिनांक 17.05.2021 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्मार्ट सिटी, अयोध्या को अंतरित/व्यय की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग दिनांक **31 मार्च 2025** तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(3) शासनादेश संख्या-45/2021/1041/नौ-9-2021-41ज/21, दिनांक 14.08.2021 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 3,37,77,000 (रूपये तीन करोड़ सैंतीस लाख सतहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217050510300 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Signed by
Mohd.wasif
Date: 06-12-2024 18:19:48
(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

संख्या-272/2024/1729/नौ-9-2024-41ja-21/001-ई-1368791, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, अयोध्या।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
9. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
10. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, अयोध्या।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।